

प्रार्थी सतनाम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 11 बीबी तहसील पदमपुर ने एक प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 12.10.2009 को एक बंद वसीयत(शील्ड लिफाफा) सेफ कस्टडी में रखी गयी थी जिसे अब प्रार्थी बिना खोले वापिस लेना चाहता है।

प्रार्थी को गवाह श्री तरसेम सिंह पुत्र मोहन सिंह एवं आज्ञा पाल सिंह पुत्र दर्शन सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री एस.पी.सिंह खुराना अधिवक्ता, श्रीगंगानगर ने की है।

इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 44 के अन्तर्गत बंद वसीयत प्रार्थी को वापिस दिये जाने का प्रावधान है।

अतः पूर्व में बंद लिफाफा नियमानुसार फीस जमा करवाकर प्रार्थीया को वापिस दिया जाना प्रस्तावित है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है।
जिला पंजीयक महोदय

20/10/09

6